प्रपत्र–30.3

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.058 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– ग्राम डुंगरी,कुंजबरगल एवं धमोली

तहसील अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.058 किमी०)** के निर्माण हेतु कुल 0.900 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंगरी, कुंजबरगल एवं धमोली द्वारा दिनांक 17/03/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम डूंगरी,कुजबरगल एवं धमोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव	ब्लॉक प्रमुख	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत/क्षे..., विकास खण्ड भैंसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)	वि०ख० भैंसियाछाना	प्रधान दीपा देवी, ग्राम पंचायत–कुन्जबरगल, वि०ख०–भैंसियाछाना,अल्मोड़ा

प्रपत्र—30.4

दिनांक 17-03-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — डुंगरी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भीमसिंह मटेला	भीमसिंह
2	लालराम	लालराम
3-	बहादुर राम	बहादुरराम
4-	रमेशराम	रमेशराम
5-	देवराम	देवराम

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत/क्षेत्र
विकास खण्ड भीमताल
जनपद नैनीताल

सुरेन्द्र राम
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत डुंगरी
वि० ख० - भीमताल

प्रपत्र–30.4

दिनांक 17-03-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – कुंजबरगल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूरन सिंह बगड्वाल	Purh
2.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
3.	गोपालसिंह	गोपालसिंह
4.	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
5	चन्दन सिंह बगड्वाल	चन्दन
(6)	गोविन्द सिंह	[illegible]
(7)	बचेसिंह	बचेसिंह
8	नन्दनसिंह	नन्दनसिंह
(9)	हरी सिंह	हरी सिंह
(10)	किशन सिंह बगड्वाल	Kbagdwal
11	धानसिंह	

12- मोहन चन्द्र — मोहन चन्द्र मिश्रा

[illegible]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड भैसियाछाना
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान
प्रधान दीपा देवी
ग्राम पंचायत–कुन्जबरगल
वि0ख0–भैंसियाछाना, अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.4

दिनांक 17-03-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – धमोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	हरगोविन्द मिश्रा	हरगोविन्द मिश्रा
2-	भुवन चन्द्र मिश्रा	[signature]
3-	सुनीता देवी	सुनीता देवी
4-	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
5-	केशव दत्त मिश्रा	[signature]

[signature]

ग्राम प्रधान

प्रधान दीपा देवी
ग्राम पंचायत–कुन्जबरगल
वि०ख०–भैसियाछाना,अल्मोड़ा

प्रपत्र—30.2

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,अल्मोड़ा, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०)** के निर्माण हेतु कुल 0.900 है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दि0— 23-08-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक माननीय सीमा विश्वकर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— .माननीय सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा, अध्यक्ष

2— श्रीमती अंजली.............उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3— श्री गणेश सिंह.............सहायक समाज कल्याण अधिकारी, भैसियाछाना सदस्य / सचिव

4— श्री खुशाल.............बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

उप जिला अधिकारी सदर अल्मोड़ा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०)** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008

के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०)** के निर्माण हेतु कुल 0.900 है0 वन भूमि, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील अल्मोड़ा व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
जनपद अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No......................... Dated.07..09..2021/......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.900** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०) **in Almora district falls within jurisdiction of Dungri, Kunjbargal, Dhamoli Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.900** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure...............

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Vandana Singh
District Collector, Almora

जिलाधिकारी अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated...07-09-2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **0.900** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई– 5.050 किमी०) in Almora district falls within jurisdiction of **Dungri, Kunjbargal, Dhamoli** Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.900 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Dungri, Kunjbargal, Dhamoli** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Vandana Singh
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Ms. Vandana singh , I.A.S., District Collector, Almora, on date 07.09.2021 at time 2.00 P.M. ...at Almora in which application claiming rights **of Dungri, Kunjbargal, Dhamoli** measuring **0.900 hac.** for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का र निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम डुंगरी से कुंजबरगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 5.050 किमी०)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित डुंगरी मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम–डुंगरी होते हुए ग्राम–कुंजबरगल, धमोली स्कूल को जोड़ता है। उक्त मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0सं0–1306 / ।।। (2) / 19–52 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 07.03. 2019 द्वारा ल0 5.00 किमी0 व रू0 21.20 लाख की प्रथम चरण हेतु प्राप्त है, परन्तु 5.00 किमी0 लम्बाई में ग्राम धमोली स्कूल मोटर मार्ग से नहीं जुड़ रहा था। जिस कारण धमोली स्कूल को जोडने हेतु मार्ग की लम्बाई बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। अतः सर्वेक्षण के उपरान्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई 5.050 किमी0 आती है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या भी लाभान्वित होगी।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	डुंगरी	613
2	कुंजबरगल	163
3	धमोली	20
योग		**796**

उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्णन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाऐं हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

उक्त मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई 5.050 किमी0 है मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल वन भूमि 0.900 है0 तथा नाप भूमि 3.645 है0 प्रभावित होती है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल चयन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है। इस मोटर मार्ग का [illegible]ीय सर्वेक्षण कर लिया गया हैं जो कि उचित पाया गया। मोटर मार्ग का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृत है। कुल 796 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के निर्माण से लाभान्वित होती है। सड़क बनने से निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। रोजगार के अवसर बनेंगे। स्थानीय कृषक अपने उत्पादों को बाजार में ला सकेगें, जिससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा तथा उक्त क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी बीमार / अस्वस्थ्य व्यक्तियों को मुख्य मार्ग तक लाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, सड़क निर्माण होने से उक्त समस्या का निदान होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबन्धित सुविधाओं का विकास होगा एवं ग्रामवासियों का पलायन भी रूकेगा। इस दृष्टि से उक्त मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यकीय है। इसी उद्देश्य से वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किये गये हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा